प्रेस नोट दिनांक 22.12.2020

<u>थाना रहरा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफास कर भारी मात्रा में बने व अधबने शस्त्र /शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित 03 अभियुक्त गिफ्तार</u>

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमती सुनीति पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा के नेतृत्व में श्री अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर के निकट पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.12.2020 को थाना रहरा पुलिस द्वारा सूचना पर ग्राम बांसका से ग्राम गंगवार को जाने वाले रास्ते पर ईख के खेत में अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे **03 अभियुक्तगण 1. इस्तेकार 2. हसीम व 3. यामीन** को भारी मात्रा में बने/अधबने शस्त्रों व शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरादमगी के सम्बन्ध मे अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना रहरा पर मु0अ0स0 88/2020 धारा 5/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारशुदा अभियुक्त इस्तेकार एक शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व में थाना किठौर जनपद मेरठ व हसनपुर से 03 बार शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने व अवैध शस्त्र बरामद होने के अपराध में 02 बार जेल जा चूका है जिसके विरुद्ध शस्त्र रखने व शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त इस्तेकार व उसके साथी जंगल में एक साथ मिलकर अवैध शस्त्रों का निर्माण करते है तथा आर्थिक लाभ लेने हेतु अपने परिचय के लोगों के साथ मिलकर जनपद अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली आदि जनपदों मे शस्त्रो की सप्लाई करते है। अभियुक्तगण के शेष अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. इस्तेकार पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम राधना थाना किठौर जनपद मेरठ।
2. हसीन पुत्र यामीन निवासी ग्राम गंगवार थाना रहरा जनपद अमरोहा।
3. यामीन पुत्र स्व0 नूर मौहम्मद निवासी ग्राम गंगवार थाना रहरा जनपद अमरोहा।

बरामदगी का विवरण:-

1. 03 तमन्चे 315 बोर - बने हुये।
2. 01 बन्दूक 12 बोर – बनी हुई।
3. 17 तमंचे 315 बोर - अधबने हुये।
4. 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

04 बने हुये शस्त्र व 17 अधबने

कुल 21 अवैध शस्त्र

आयुध निर्माण के अन्य बरामद उपकरण :-

01 ड्रिल मसीन, 01 एयर पंखा, 01 सिकन्जा, 01 गैस सिलेन्डर मय चूल्हे के, 01 बाट एक किलो वजन आदि।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इस्तेकार:-

1. मु0अ0सं0 142/2002 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना किठौर जनपद मेरठ।
2. मु0अ0सं0 419/2006 धार 5/25 आयुद्ध अधिनियम थाना किठौर जनपद मेरठ।
3. मु0अ0सं0 566/2017 धारा 5/25 आयुद्ध अधिनियम थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
4. मु0अ0सं0 363/2019 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना सरिता विहार दिल्ली।
5. मु0अ0सं0 461/2020 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना किठौर जनपद मेरठ।
6. मु0अ0सं0 88/2020 धारा 5/25 आयुद्ध अधिनियम थाना रहरा जनपद अमरोहा।
7. मु0अ0स0 290/2020 धारा 147 148 149 452 504 506 भादवि जनपद अमरोहा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त यामीन:-

1. मु0अ0सं0 88/2020 धारा 5/25 आयुद्ध अधिनियम थाना रहरा जनपद अमरोहा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हसीन:-

1. मु0अ0सं0 88/2020 धारा 5/25 आयुद्ध अधिनियम थाना रहरा जनपद अमरोहा।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र कुमार सिंह थाना रहरा जनपद अमरोहा।
2. उ0नि0 श्री कुलदीप थाना रहरा जनपद अमरोहा।
3. उ0नि0 श्री रामप्रसाद यादव थाना रहरा जनपद अमरोहा।
4. का0 1040 राहुल ढाका थाना रहरा जनपद अमरोहा।
5. का0 194 अतुल मलिक थाना रहरा जनपद अमरोहा।
6. का0 556 गौरव तोमर थाना रहरा जनपद अमरोहा।